[Shri Mukunda Mandal]

it is reported CBI was informed of the matter, they did not involve themselves directly in investigating the matter yet. Bank authority in the meantime has given appointment to a retired D.S.P. of CBI as a Special Officer of the Bank. Employees of the bank are being harassed in sanctioning loan from S.P.F. and being asked to see C.B.I. Office by letters without giving the purpose of mentioning the name of C.B.I. directly. The Bank authority is reluctant to investigate the whole matter. They want to save the officials who are responsible for the fraud and forgery continued for several years involving few lakhs of rupees.

(iii) REPORTED DAMAGE CAUSED BY HAIL-STORM AND HEAVY RAINS IN HIMACHAL PRADESH

**श्री बालक राम** (शिमला) : स्पीकर साहब, नियम 377 के तहत आपने मुझे देश के एक पिछड़े राज्य पर अभी हाल मे तूफान और ओलों से पैदा हुए मानी संकट की तरफ़ लोक सभा तथा सरकार का ध्यान दिलाने का जो मौका दिया है इसके लिये मैं आपका धन्यवादी हू । इस सवाल पर चर्चा करने से पहले मैं मंत्री महोदय, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी का, पिछले साल हिमाचल प्रदेश मे आयी बाढ़ से हुए नुकसान के लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट से सबसिडी का गेहूं दिया गया है, उसके लिये मै और मेरे हिमाचल प्रदेश की जनता शुक्रगुज़ार है ।

मान्यवर, दूर दराज़ इलाकों से आने वाले लोगों से प्राप्त हुए पत्रों तथा तारों और प्रैस रिपोर्टस से यह साफ जाहिर हुआ है कि साल के आखिर मे तथा अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान समय-समय पर आयी आंधी और ओलों से वहां की रबी फ़सल और सेब की फसल को करोड़ों की लागत का नुकसान हुआ है । जिला शिमला, कुलू और जिला सिरमौर मे सेब के बागीचों को ओलों से इतना नुकसान हुआ है कि मुश्किल से किसानों को 25 फ़ीसदी सेब की फ़सल मिलेगी । शिमला ज़िले के ऊपरी हिस्से मे तो आंधी और ओलों की बरसात उस समय हुई, जब सब के पौधों पर फूल लगे, और आंधी, तूफान और ओलों से सभी फूल झड़ गये । जाहिर है कि जब फूल ही झड़ गये, तो फल कहां से आयेंगे । मंत्री महोदय इस बात को बखूबी जानते है कि हिमाचल प्रदेश के सेब बागान ही वहां की माली हालत की रीढ़ की हड्डी हैं । सेब की फसल पर ही वहां के किसानों की ज़िन्दगी मुन्हसिर करती है । अगर सेब न हों या सेब सस्ते बिके, तो उस का सीधा असर उन की माली हालत पर पड़ता है और उन्हें मजबूर होकर मजदूरी करनी पड़ती है । बदकिस्मती मे इस साल तूफान और ओलों से मेरे इस आठ लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र म बहुत ज्यादा नुक्सान हो गया है और वहां के लोगों का भविष्य अन्धेरमय हो गया है ।

हर साल हिमाचल प्रदेश औसतन 50 लाख सेब की पेटियां बाहर भेजता है । हर सेब की पेटी की उत्पादन लागत 25 रुपये होती है । इस लागत मे साल भर की मेहनत, खाद, मजदूरी और भाड़ा वगैरह शामिल हैं । पैदावार लागत काटने के बाद पन्द्रह, बीस रुपया फ़ी-पेटी ही किसान को बचता है । इस नैचरल कैलेमिटी के बाद मुश्किल से 25 फ़ीसदी सेब की फसल मिलने का अन्दाजा है । इस तरह से लगभग 50 लाख पेटियों मे से 10 लाख पेटियों का अन्दाजा है । 8 करोड़ रुपये की लागत की फ़सल ओलों और आंधी से बर्बाद हुई है ।

अब हालत बहुत नाजुक होती जा रही है । लोग मेहनत-मजदूरी के लिए भटक रहे है । वहां कोई प्राजेक्ट या कारखाना नहीं है, जहां लोग मजदूरी कर के अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें । उनकी रोजी रोटी सेब ही है जो अब नहीं रही । इस हालत मे उनका सामना एक क़हत जैसी हालत से होता जा रहा है ।

MR. SPEAKER: You have added on many things Mr. Balak Ram.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): All harmless things, Sir..

**श्री बालक राम :** इस लिए मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना हूं कि ओलों से प्रभावित इलाकों के किसानों को पहले सालों में हुई सेब की फसल के अनुपात में सबसिडी दी जाये। इस इलाके के लोगों को कम कीमत वाला गेहूं दिया जाये। किसानों को लांग-टर्म या मीडियम-टर्म लोन दिलाने का प्रबन्ध किया जाये। हर तहसील में जल्दी कोई विकास प्राजेक्ट या कारखाना खोला जाये, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी शिमला पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युएन्सी के लोगों की दर्दनाक हालत पर विचार करते हुए मेरे इन सुझावों को जल्दी लागू करने का इन्तजाम करेगी।

MR. SPEAKER: You are adding further and you make it difficult for me to select your Rule 377 notices hereafter. I will make a note of it, Mr. Balak Ram. Making further additions will make it difficult for me to select your Rule 377 Notices later.

(iv) REPORTED CONTINUING PROBLEM OF REFUGEES FROM PAKISTAN OCCUPIED AREAS OF JAMMU AND KASHMIR STATE

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Speaker, Sir, under Rule 377, I wish to raise the following matter of urgent public importance, regarding the continuing problem of refugees from Pakistan-occupied areas of the Jammu and Kashmir State.

The House is aware that following the invasion of Jammu and Kashmir by Pakistan in 1947, lakhs of people residing in the areas which are still under Pakistan occupation were rendered homeless.

In addition, many thousands of people—mainly Harijans and other weaker sections of society—crossed over from the Sialkot border and took refuge in Jammu.

Although 30 years have elapsed, the claims of these refugees have still not been registered. The Government of India continues to claim that the reason for non-registration of the claims is due to the fact that the areas under Pakistan occupation are legally part of India.

It is of course true that as a result of the Instrument of Accession, the entire State of Jammu and Kashmir as it stood on the 15th August, 1947 is legally and constitutionally a part of India. But it cannot be the intention to penalise the refugees because of our own inability to get the aggression vacated.

There is the additional problem of the refugees from the Chamb areas which passed under Pakistan occupation during the 1971 war, despite the impressive victory that we won.

The House will be surprised to know that refugees from Pakistan occupied Kashmir have not yet been granted the proprietary rights of the land allotted to them in the State, nor have their claims for compensation been duly registered.

As far as the refugees from the Sialkot sector are concerned, they do not yet have the vote in elections to the State Assembly, although they have been living in the State for over two generations now.

I would urge that the Government of India should look into this entire question with sympathy and understanding so that the genuine demands of the refugees are met as early as possible.